मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

क्रा. क्र. 373-374
भोपाल, दि. 14/07/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/875/2018

आवेदकः–
मेसर्स बॉक्स कोरूगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स,
14–बी, सेक्टर–आई, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
गोविन्दपुरा,
भोपाल – 462 023

विरूद्ध

अनावेदकः–
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र.,
अरेरा हिल्स,
भापाल–462 004

माध्यस्थम आदेश दिनांक – 07 जूलाई, 2020

14 जुलाई 2020

आवेदक मेसर्स बॉक्स कोरूगेटर्स एण्ड ऑफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल द्वारा अनावेदक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म.प्र., भोपाल के विरूद्ध प्रदायित सचित्र केलेण्डर एवं अन्य सामग्री के पेपर सहित मुद्रण हेतु अनावेदक द्वारा आई.टी. विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित निविदा की स्वीकृति उपरांत अनावेदक द्वारा जारी अनुबंध क्रमांक जी.बी. चार/पेपर(के–1)3421ए, दिनांक 28.12.2016 निष्पादित कर, प्रदाय आदेश क्रमांक जी.बी. चार/पेपर(के–1)3432, दिनांक 30.12.2016 अन्तर्गत मुद्रित सामग्री प्रदाय हेतु आदेशित किया गया, जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा कुल राशि रू. 70,20,120/– की सामग्री का प्रदाय कर, देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये, जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा कुल राशि रू. 69,79,600/– का भुगतान किया गया है तथा अनावेदक पर बकाया राशि रू. 40,520/– अनावेदक पर बकाया है।

आवेदक द्वारा अनावेदक से अप्राप्त राशि रू. 40,520/– एवं इस अप्राप्त राशि पर ब्याज, विलंब से प्राप्त भुगतान राशि पर ब्याज तथा विलंब से प्राप्त एफडीआर की राशि पर ब्याज का दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :–

1.	अनावेदक से अप्राप्त राशि रू.	40,520/–
2.	अनावेदक से अप्राप्त राशि रू. 40,520/– पर दिनांक 31.07.2018 तक की संगणित ब्याज की राशि रू.	13,650/–
3.	विलंब से प्राप्त भुगतान राशि रू. 6,61,492/– पर दिनांक 31.07.2018 तक की संगणित ब्याज की राशि रू.	1,41,034/–
4.	विलंब से प्राप्त एफडीआर की कुल राशि रू. 2,10,000/– एवं बैंक गारंटी की राशि रू. 7,02,100/– पर दिनांक 31.07.2018 तक की संगणित ब्याज की राशि रू.	43,040/–
	कुल दावा राशि रू.	2,38,244/–

.....2

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 4871–72, दिनांक 24.11.2018 से अनावेदक को बिन्दुवार उत्तर एवं सुलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया, किन्तु अनावेदक से बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव अप्राप्त रहा।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 16.01.2019 को उभयपक्ष उपस्थित हुए।
काउन्सिल द्वारा उभयपक्षों को सुलह करने हेतु परामर्श दिया गया।
दोनो पक्षों द्वारा सुलह बैठक कर आपस में समझौता करने पर सहमति व्यक्त की गई। काउन्सिल द्वारा सुनवाई दिनांक 08.03.2019 को सुलह की कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

इसके पश्चात काउन्सिल की बैठक नही हो सकी।
उभयपक्षों द्वारा भी सुलह के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत नही कराया गया।

प्रकरण में सूक्ष्म और लघु उद्यम इकाईयों द्वारा शासकीय विभागों को प्रदाय सामग्री/सेवा के विष्द्ध लंबित देयको का भुगतान करने हेतु, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल को उद्योग आयुक्त द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 194, दिनांक 28.05.2020 प्रेषित कर, सुलह का अवसर देते हुए, आवेदक के लंबित देयको का परीक्षण करवाकर, भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु लिखा गया ।

उद्योग आयुक्त के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के सन्दर्भ में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 859, दिनांक 30.06.2020 से निम्नानुसार अवगत कराया गया है :–

"मेसर्स बॉक्स कोरोगेटर्स एण्ड आफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल को शासकीय डायरी, केलेण्डर्स, एवं स्पायरल नोट बुक मुद्रण कर 20/15 दिवस में आदेशित मात्राा को 1950 कार्टून में पैकिंग कर मुद्रणालयों को प्रदाय करना था, परन्तु मुद्रक द्वारा बण्डलों में पैकिंग कर सामग्री का प्रदाय किया गयाजो आदेश एवं अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन था।

ऐसी स्थिति में विभागीय परीक्षण समिति द्वारा बण्डल का मुल्य 5/– तथा कार्टून का मूल्य रूप्ये 30/– निर्धारित ककर 1950 कार्टून की राशि रू. 58,500/– में से 3,636 बण्डल की राशि रू. 18,180/7 कम करके शेष राशि रू. 40,320/– और 151 शीट केलेण्डर की राशि रू. 200/– इस प्रकार कुल राशि रू. 40,520/– का कटोत्रा देयक से किये जाने का निर्णय लिया गया। देयक से उक्त राशि का कटोत्राा कर, शेष राशि का भुगतान मेसर्स बॉक्स कोरोगेटर्स एण्ड आफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल को किया गया है।

कथित राशि रूप्ये 40,520/– का कटोत्रा न्यायिक दृष्टि से सही एवं अनुबध की शर्तानुसार है। अतः प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी./875/18 निरस्त कर समाप्त करने का कष्ट करे।"

आवेदक द्वारा प्रस्तुत उभयपक्षों के मध्य निष्पादित अनुबंध की कंडिका 2 एवं प्रदाय आदेश में वर्णित "सामग्री का स्पेसिफिकेंशन" में पैकिंग अन्तर्गत उल्लेखित है कि "5 प्लाई कार्टून (अधिकतम 25 के.जी. वजन) में पैक कर प्रदाय करना होगा।"

अनावेदक के अनुसार आवेदक द्वारा सामग्री का प्रदाय कार्टुन में पैक कर, नही किया गया है, इसलिये अनावेदक की विभागीय परीक्षण समिति द्वारा उपरोक्तानुसार कुल राशि रू. 40,520/– का कटोत्रा देयक से किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसे काउन्सिल द्वारा मान्य किया जाकर आवेदक

.....3

द्वारा प्रस्तुत अप्राप्त भुगतान की राशि रू. 40,520/– जो आवेदक को देय नही होने से, इस पर दावा की गई ब्याज राशि सहित आवेदक का दावा आवेदन पत्र खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम –7 अन्तर्गत अनावेदक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल, का उत्तर समाधान कारक मानकर, नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्तानुसार आवेदक मेसर्स बॉक्स कोरोगेटर्स एण्ड आफसेट प्रिन्टर्स, भोपाल द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2018 एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

14/7.

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
अतिरिक्त महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
भोपाल।

(सी. मिंज) 14/7
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल
एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल।